(82)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्र. 4357-/2016 रिव्यू 4357-II-16

1. धर्मदास गुरु श्री बजरंगदास महंत पुजारी अष्टभुजी माता का मंदिर, अशोक नगर (म.प्र.) द्वारा मुख्त्यारआम संतोष कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द्र जेन निवासी– गल्ला मण्डी रोड, अशोक नगर, जिला अशोक नगर, (म.प्र.)
2. संतोष कुमार जैन पुत्र श्री फूलचन्द्र जेन निवासी– गल्ला मण्डी रोड, अशोक नगर, जिला अशोक नगर, (म.प्र.)
3. राकेश रघुवंशी पुत्र श्री रामसिंह रघुवंशी, निवासी– तुलसी सरोवर कालोनी अशोकनगर म.प्र. --आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन --अनावेदक

श्री विनोद भार्गव द्वारा आज दि. 27-12-16 प्रस्तुत

राजस्व ...

885 / 27.12.16

विनोद भार्गव एडवोकेट ग्वालियर 27-12-2016

न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर संभाग ग्वालियर, द्वारा प्रकरण क्रमांक निगरानी 2412–दो/2016 में पारित आदेश दिनांक 29/09/2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यः

1. यहकि, आवेदक क्रमांक 2 एवं 3 द्वारा आवेदक क्रमांक 1 से अशोक नगर वार्ड क्रमांक 3 में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 741 रकबा 0.920 ... अधिकारी द्वारा प्रदत्त अनुमति आदेश दिनांक

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4357–दो/16 जिला–अशोकनगर

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–06–17	आवेदक अधिवक्ता श्री आर0 डी0 शर्मा उपस्थित। शासन की ओर से पैनल अधिवकता श्री बी0 एन0 त्यागी उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्तागण ने प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये। उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क श्रवण किये तथा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2– यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2412–दो/16 में पारित आदेश दिनांक 29.9.16 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 4357–दो/16 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने। 3– आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया हेजो प्रकरण कमांक निगरानी 2412–दो/16 में वर्णित है। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 29.9.16 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 4357–दो/16 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही	

रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:–

अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

स– कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता हैं उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य